

F. E - 3073891

No.5/1/2018-PAP
Government of India
Ministry of Communications
Department of Posts
[Establishment Division / PAP Section]
Dak Bhawan, Sansad Marg
New Delhi - 110 001

Dated: 12.03.2018


To

All Chief Post Masters General,
All Post Masters General
All General Managers (Postal Accounts & Finance),
All Directors of Accounts (Postal),
The Director, Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy, Ghaziabad, U.P.
All Directors of PTCs

Sub.: Implementation of Seventh Central Pay Commission recommendations - Dress Allowance - regarding.


I am directed to forward herewith the copy of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training Office Memorandum No.14/4/2015- JCA-2 dated 01.09.2017 on the subject cited above for kind information and further necessary action at your end.

Encl.: As above.


[K. V. Vijayakumar]
Asstt. Director General [ESTT.]

Copy for kind information to :

1. Sr. PPS to Secretary (Posts) / PPS to DG (Posts).
2. All member of Postal Services Board,
3. JS & FA (Posts),
4. DDG (PAF) / Secretary (PSB) / GM(F) BDD / CGM (PLI)
5. All other DDsG in Postal Directorate
6. Guard File, 7. Spare Copy
8. SO(C&A)
9. Departmental Website through : CEPT Mysore 10. All Postal Unions.


(Nagesh Nath Jha)
Asstt. Accounts Officer (PAP)

फा. सं. 14/4/2015-जेसीए-2

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 1 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : वर्दी भते के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के समूह 'ग' श्रेणी और पूर्ववर्ती 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें वर्दी प्रदान की जाती है और जिनके लिए उसे नियमित रूप से पहनना आवश्यक होता है, को वर्दी भता/धुलाई भता/सिलाई प्रभार/जूता (शू) भता इत्यादि की देयता के संबंध में मौजूदा आदेशों के अधिक्रमण करते हुए उन्हें 5000/- रु. प्रति वर्ष की दर से वर्दी भते का भुगतान किया जाएगा।

2. वर्दी भता/धुलाई भता/सिलाई प्रभार/जूता (शू) प्रभार इत्यादि को वर्दी भते में शामिल कर दिया गया है।
3. जिन श्रेणी के कर्मचारियों को पहले किसी प्रकार की वर्दी प्रदान की जा रही थी उन्हें अब से वर्दी प्रदान नहीं की जाएगी।
4. वर्दी के रख-रखाव और इसकी धुलाई से संबंधित भते, वर्दी भते में शामिल कर दिए गए हैं और अलग से इनका भुगतान नहीं किया जाएगा।
5. वर्दी भते की राशि वर्ष में एक बार जुलाई माह में कर्मचारियों के वेतन में जोड़ दी जाएगी।
6. जैसा कि ऊपर पैरा-1 में उल्लिखित है, वर्दी भते की दर 5000/- रु. प्रति वर्ष होगी। जब महंगाई भते में 50% की वृद्धि होगी तब वर्दी भते की दर में हर बार 25% की वृद्धि हो जाएगी।
7. इस भते में कर्मचारियों की मूल वर्दी ही शामिल है। अन्य विशेष वस्त्र संबंधित मंत्रालय द्वारा मौजूदा मापदंडों के अनुसार प्रदान किए जाते रहेंगे।
8. यह आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगा।

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

डी.के. सेनगुप्ता
(डी. के. सेनगुप्ता)
उप सचिव (जेसीए)
दूरभाष : 23092982